न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 41 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. लाधाराम पुत्र प्रभुराम
2. सोनाराम पुत्र प्रभुराम
3. निम्बाराम पुत्र प्रभुराम
4. केशाराम पुत्र प्रभुराम
   जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. डालूराम पुत्र पताराम
2. आम्बाराम पुत्र पताराम
3. मूलाराम पुत्र पताराम
4. नेनाराम पुत्र पताराम
5. जैसाराम पुत्र पताराम
6. हमीराराम पुत्र हरखाराम
7. सुखाराम पुत्र हरखाराम
8. बाबूलाल पुत्र हरखाराम
9. लीलाराम पुत्र हरखाराम
10. राजूराम पुत्र हरखाराम
11. जेती पत्नी हरखाराम
    जाति भांभी निवासी अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
12. तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.06.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा अणखिया पटवार क्षेत्र नौखड़ा के खेत खसरा नम्बर 47/3 रकबा 11.9382 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र नौखडा के राजस्व ग्राम अणखिया के खेत खसरा नम्बर 47/3 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 200/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 8/6/23 .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

:: वाद / 2023 / 475 — दिनांक : 8/6/23

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

लाधाराम वगैरा — डालूराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......41 / 2023.. — निर्णय दिनांक :– 08.06.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **अणखिया** के खेत खसरा नम्बर 47 / 3 रकबा 11.9382 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार....नौखड़ा.....**को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये ....**200 / –**...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 476-477 — दिनांक : 8/6/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी / नौखड़ा
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी/ RGT रावलीनाडी नगर
3. हल्का पटवारी....नौखडा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........लाधाराम वगैरा
5. विप्रार्थीगण.....डालूराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी